सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 भाद्र 6, गुरुवार, शाके 1947–अगस्त 28, 2025 अंक 22
Vol. 77 Bhadra 6, Thursday, Saka 1947–August 28, 2025 No. 22

भाग 7
विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम परिवर्तन का बन्ध–पत्र
[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं.एफ.1/12/एफ.डी.आर.187, दिनांक 10–4–57 की अनुपालना में]

इस बन्धपत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षर कर्ता दीपसिंह (DEEP SINGH) पुत्र श्री मेहराराम राजपुरोहित, (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व दीपाराम राजपुरोहित (DEEPA RAM RAJPUROHIT) पुत्र श्री मेहराराम राजपुरोहित (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो वरिष्ठ अध्यापक (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप मेंरा उ.प्रा.वि.मेघवालों की ढाणी, भाण्डुखुर्द, ब्लॉक–धवा जिला–जोधपुर, (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो), पर नियुक्त हूँ, एतद्द्वाराः–

1. स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो, मेरे पूर्व नाम दीपाराम उपनाम राजपुरोहित को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम दीप तथा उपनाम सिंह ग्रहण करता हूँ एवं मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम राजपुरोहित, (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाएं बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम सिंह द्वारा जाने जाए।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि एतद्पश्चात सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों व्यवहारों, एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम दीपाराम उपनाम राजपुरोहित (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में दीप (DEEP) नाम के रूप में तथा सिंह (SINGH) उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे गये नाम दीप (DEEP) उपनाम सिंह (SINGH) के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूँ।

इसके साक्ष्य में मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम दीपाराम राजपुरोहित तथा दीप सिंह का वर्णन किया है दिनांक 15.07.2025 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम दीप सिंह द्वारा जो पूर्व में दीपाराम राजपुरोहित कहलाता था, हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षर
नया नामः दीप सिंह (DEEP SINGH)
पुराना नामः दीपाराम राजपुरोहित (DEEPA RAM RAJPUROHIT)

साक्षी
1. श्री अशोक जाखड़
रा.उ.प्रा.वि. मेघवालों की ढाणी,
भाण्डखुर्द, ब्लॉक–घवा जिला–जोधपुर
2. श्रीमती रेखा, शा. शिक्षिका

रा.उ.प्रा.वि. मेघवालों की ढाणी,
भाण्डुखुर्द, ब्लॉक–घवा जिला–जोधपुर

प्रतिहस्ताक्षर
(विभागाध्यक्ष)
श्रीमती ममता शर्मा
पंचायत प्रार शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्य,
रा.उ.मा.वि.भाण्डुखुर्द, ब्लॉक–धवा जिला – जोधपुर

पी.ई.ई.ओ.
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
भाण्डू खुर्द (धवा) जोधपुर।
ATTESTED
SUNITA BHATI
16-07-2025
NOTARY, JODHPUR.
11675

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।